(iii) 215 एकड़ क्षेत्र से वन रोपण किया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 1500-2000 वृक्ष प्रति हैक्टेयर के मानदंड का अनुपालन किया जाना चाहिए।

परियोजना का कार्यान्वयन करते हुए एनटीपीसी परियोजना से जनित राख के नियंत्रण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उस स्थान के वनस्पति और जीव-जन्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत वितरण के लिए विशेषज्ञ समिति

1643. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत प्रसारण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के कार्य के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के संघटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा सुझाये गये निबंधन शर्तें तथा निदेश क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) जी, हां। पारेषण को एक विशिष्ट गतिविधि बनाने को प्रावधान करने वाले विद्युत नियमों के संशोधनों पर सिफारिशें करने के लिए श्री डी. शंकरागुरूस्वामी की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और अनुमोदन के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और परिवर्तनों का सुझाव देना यदि कोई हों तथा दूसरे तत्संबंधी दिशा निर्देशों का सुझाव देना शामिल है। समिति ने जुलाई 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1. श्री डी. शंकरागुरू स्वामी, पूर्व अध्यक्ष, विद्युत वित्त निगम	अध्यक्ष
2. श्री जी एस राजामणि सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	सदस्य
3. श्री के रामानाथन सेवा निवृत्त सदस्य (पीएस) (सीईए)	सदस्य
4. श्री एम.वी. डेकने पूर्व सदस्य, एमएसईबी	सदस्य
5. श्री अशोक हराने आईएलएफएस, बम्बई	सदस्य
6. श्री भानु भूषण, कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) (पावरग्रिड)	सदस्य सचिव

समिति की सिफारिशों के आधार पर पारेषण परियोजनाओं के उन्नय हेतु विधिक स्वरूप स्थापित किया गया है। बिजली कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998, की अधिनियम सं॰ 22 में अधिनियमित कर दिया गया है जिससे भारतीय बिजली अधिनियम और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन हुआ है।

Power tariff for Agricultural, Industrial and Domestic Consumers

1644. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the State-wise power tariff, separately, for agricultural, industrial and domestic consumers;

(b) how these compare with those of last five years;

(c) whether farmers in Maharashtra have stopped paying electricity charges; and

(d) how this has affected the finances of MSEB?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Statewise Estimated Average Rates of Electricity for Agriculture, Industry and Domestic Consumers as on 1.3.1999 and 1.4.1994, 1.4.1995, 1.4.1996. 1.4.1997 &